

07.10.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता  
उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद  
अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना  
पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही  
है। उभयपक्ष अधिवक्ता को बार-बार आवाज  
लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी  
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये।  
उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के  
कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़